फार्म नम्बर ।।।

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम औसिया

रोहित वगैरा बनाम श्यामसुन्दर वगैरा

किस्म मुकदमा विविधि प्रार्थना पत्र नम्बर ....123...... / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
29/5/19	प्राथीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम ग्राम बडा कोटेचा खसरा नम्बर 208 रकबा 16 बीघा 9 बीस्वा व खसरा नम्बर 208/3 रकबा 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता सावंलदास के खातेदारी व वकब्जा काश्त की आई हुई थी । उक्त भूमि के खसरा नम्बर 208 रकबा 16 बीघा 9 बीस्वा मे से प्रतिवादी ने सांवलदास से रकबा 8 बीघा 9 बीस्वा भूमि खरीदी तथा 8 बीघा भूमि वादी संख्या 1 को दान कर दी गई तथा खसरा नम्बर 208/3 रकबा 10 बीघा मे से वादी संख्या 2 ने प्रतिवादीगण को 1 बीघा 12 बीस्वा बेचान की जिसके आधार पर वादीगण की बिना सहमती के प्रतिवादीगण ने मौके व कब्जा काश्त के विपरित सडक पर कीमती भूमि की अपने पक्ष मे रखते हुए गलत तरमीम करवा दी जिसके अनुसार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर बेचान फरोक्त करने पर आमादा है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो व दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है । अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि बाबत अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नही करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कियाजावे पत्रावली वास्ते तलबी दिंनाक ..1/4/8/19...... को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर, ओसियां	
14/8/19	पत्रावली तलब करने पर आज [illegible] गई। [illegible] जा चुका मुल वाद जरिये [illegible] है। अब प्रार्थना [illegible] रह जाता है। अतः [illegible] शुमार किया जाता है। पत्रावली [illegible] जाकर दाखिल होकर ज़ब्त से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर, ओसियां	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner